



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-08062020-219829
CG-MP-E-08062020-219829

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1613]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2020/ज्येष्ठ 18, 1942

No. 1613]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2020/JYAISTHA 18, 1942

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 4 मई, 2020

भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (च) के अंतर्गत ज्ञापनवित्त मंत्रालय

का.आ. 1796(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 की 24) की धारा 2 के खंड 7अ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनियम की धारा 20च उपधारा (6) के अंतर्गत सरकारी गज़ट में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ओड़ीशा राज्य में एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तम्भ(2) में वर्णित अधिकारी को तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित विशेष रेल परियोजना हेतु ज़मीन अधिग्रहण के लिए मध्यस्थ नियुक्त करती है।

क्रं	सक्षम अधिकारी	विशेष रेल परियोजना के क्षेत्र में
1.	जिलाधीश, झारसुगुडा	ईब फ्लाई ओवर लाइन (09किमी) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत, ओड़ीशा राज्य में (मद क्रं 46, पिक बुक 2017-18)

[फा. सं. डीसीआई/सी/आरआईजी@बीएसपी/आईएमपी-124/329/1934]

आर० एन० सुनकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAY
(SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 4th May, 2020

Notice under Section 20(F) of Railways Act 1989

S.O. 1796(E).—In exercise of powers conferred by clause 7A of the section 2 of Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby appoints the officer mentioned in Column 2 of the table below as Arbitrator for the land acquisition in Special Railway Project mentioned in Column 3, in terms of sub-section (6) of section 20F, with effect from date of publication of this notification in the Gazette.

SN	ARBITRATOR	SPECIAL RAILWAY PROJECT
1.	Collector/Jharsuguda	IB Fly over line (9km) of South East Central Railway in Odisha State (Pink Book 2017-18 item no 46)

[F. No. DCE/C/RIG@BSP/IMP-124/329/1934]

R. N. SUNKAR, Chief Administrative Officer (Construction)